मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5483

26.07.2019 को उत्तर के लिए

आनुवंशिक रूप से संवर्धित फसल

5483. **श्री प्रभुभाई :**

श्री नागरभाई वसावा :

श्रीमती रक्षा :

श्री निखिल खडसे :

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू :

श्री के. सुब्बारायण :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में कृषि और व्यावसायिक उत्पादन हेतु अनुमोदित और अनुमत्य आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जीएम) फसलों का ब्यौरा क्या है और अनुमोदित की जाने वाली जीएम फसलें कौन सी हैं;

(ख) क्या सरकार अस्वीकृत एचटी बीटी कॉटन बीज रोपित करने पर लगे प्रतिबंध के प्रतिकूल, महाराष्ट्र में जीएम फसलों की मांग से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में किसानों ने जीएम कॉटन और बीटी-बैंगन का बीजरोपण शुरू कर दिया है और उन्होंने इन फसलों के रोपण की अनुमति मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार महाराष्ट्र में जीएम-कॉटन और बैंगन बीजों की अस्वीकृत किस्म की बिक्री की जांच करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अप्राधिकृत जीएम बीजों की बिक्री पर उक्त कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) बीटी कॉटन ही एकमात्र ही आनुवंशिक रूप से संवर्धित फसल है जिसे भारत में अनुमोदित किया गया है और इसके रोपण तथा वाणिज्यिक उत्पादन की अनुमति दी गई है। मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर आनुवंशिक रूप से संवर्धित सरसों तथा बैंगन के प्रभाव के संबंध में अतिरिक्त आंकड़ों/अध्ययनों के अभाव के कारण अभी इनके रोपण के लिए अनुमोदन के आवेदनों को स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र में एक किसान संघ ने दिनांक 10 जुलाई, 2019 को खरपतवारनाशक अनुकूल (एचटी) बैंगन के बीज बोये थे और इस मंत्रालय को और जीएम फसलों तक पहुंच प्रदान करने की अनुमति देने हेतु पत्र भी लिखा था। सरकार को अन्य राज्यों में किसानों से इस प्रकार की मांग के बारे में जानकारी नहीं है। तथापि, इस मंत्रालय को आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब राज्यों में बीटी बैंगन और एचटी बीटी कॉटन के अवैध रोपण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) महाराष्ट्र सरकार से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जैव-प्रौद्योगिकी समन्वय समितियों तथा जिला स्तरीय समितियों के गठन तथा सुदृढ़ीकरण करने का आग्रह किया गया है ताकि जीएम फसलों के अवैध रोपण की घटनाओं की निगरानी और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत समुचित कार्रवाई की जा सके।

*****